भाग - 4

अध्याय 15

निष्कर्ष और सिफारिशें

15.1 संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। इस धारा के अनुसार इस समिति का कर्तव्य है कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उन पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएंगे। समिति ने यह निर्णय लिया था कि वह अपना प्रतिवेदन विभिन्न खण्डों में प्रस्तुत करेगी। इस निर्णय के अनुसरण में समिति इससे पूर्व अपने प्रतिवेदन के आठ खण्ड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है और इन खण्डों में राजभाषा नीति के निम्नलिखित विशेष पहलुओं को शामिल किया गया हैः

(क) प्रथम खण्ड में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुवाद तथा उससे जुड़े हुए अन्य मुद्दों जैसे हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, अनुवाद कार्य के लिए सक्षम उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) पाठयक्रम और विकसित देशों की भाषाओं में नित नए उपलब्ध होने वाले अद्यतन ज्ञान-विज्ञान के हिंदी में सीधे अनुवाद की व्यवस्था और भारत सरकार के विभिन्न विभागों और उपक्रमों आदि के कोड, मैनुअलों, फार्मों और प्रक्रिया साहित्य तथा प्रशिक्षण संबंधी साहित्य के हिंदी अनुवाद के बारे में चर्चा करते हुए सिफारिशें की गई हैं।

(ख) प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में केन्द्र सरकार के कामकाज में उपयुक्त अनुवाद व्यवस्था के बाद समुचित यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें की गई हैं। प्रतिवेदन के इस खण्ड में कार्यालयीन कामकाज में यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता और उपयोगिता और उनमें देवनागरी लिपि की व्यवस्था, उस पर कार्यरत कार्मिक शक्ति की उपलब्धता एवं प्रशिक्षण तथा विभिन्न उपकरणों के संबंध में उत्पादन एवं संभरण व्यवस्था आदि की भी चर्चा की गई है।

(ग) समिति के प्रतिवेदन के तीसरे खण्ड में देश-विदेश के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिंदी की शिक्षा तथा हिंदी माध्यम से अन्य विषयों की शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के फलस्वरूप एवं हिंदी के प्रचार-प्रसार में लगी हुई स्वयंसेवी संस्थाओं तथा केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों के परिप्रेक्ष्य में हिंदी शिक्षण संबंधी वर्तमान व्यवस्थाओ की समीक्षा की गई है। इस खण्ड में विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सेवाकालीन हिंदी शिक्षण की वर्तमान स्थिति तथा इस बारे में भावी कार्यक्रमों के संबंध में मंत्रालयवार समीक्षा भी की गई है तथा यह प्रयास किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा सीधी भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों और अन्य विभागीय परीक्षाओं में तथा विभिन्न पदों पर नियुक्ति संबंधी भर्ती नियमों में हिंदी अथवा अंग्रेजी की अनिवार्यता आदि के बारे में किस प्रकार के प्रावधान किये गये हैं तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण माध्यम के रूप में हिंदी का प्रचलन कहां तक हो रहा है और इसमे किस

प्रकार सुधार लाया जा सकता है जिससे कि राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) प्रतिवेदन के चौथे खण्ड में हिंदी के प्रगामी प्रयोग और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम में दी गई मदों तथा उनसे संबंधित लक्ष्यों को सामने रखते हुए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागो, कार्यालयों, उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा उनके केन्द्रीय, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के कामकाज में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा भी की गई है।

(ड) समिति के प्रतिवेदन के पांचवें खण्ड में विधायन की भाषा और विभिन्न न्यायालयों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा की समीक्षा एवं मूल्यांकन करके इस संबंध में सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति के बारे में भी समीक्षा की गई है।

(च) प्रतिवेदन के छठे खण्ड में समिति ने केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के परस्पर पत्र व्यवहार में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में समीक्षा प्रस्तुत की है। समिति ने अपने प्रतिवेदन के विभिन्न खण्डों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की है।

(छ) प्रतिवेदन के सातवें खण्ड में समिति ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की वस्तुस्थिति पर अपने निरीक्षण इत्यादि के आधार पर प्रकाश डाला है। हिंदी के प्रगामी प्रयोग का अवलोकन करने हेतु गठित विभिन्न समितियों के कार्यकलाप पर चर्चा की है, मंत्रालयवार और क्षेत्रवार वर्गीकरण अर्थात "क" , "ख" और "ग" क्षेत्र के आधार पर हिंदी के प्रयोग की वस्तुस्थिति आंकड़ों में प्रस्तुत की है और उस स्थिति का विश्लेषण किया है। इन ऑंकड़ों के आधार पर स्थिति में सुधार लाने और लक्ष्य प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए समिति ने कुछ महत्वपूर्ण विषयों जैसे सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में लेखन कार्य, विधि संबंधी कार्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग हेतु प्रचार-प्रसार, सरकारी कामकाज में प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से जुड़े प्रकाशनों की हिंदी में उपलब्धता, राज्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, वैश्वीकरण और हिंदी, कंप्यूटरीकरण - एक चुनौती, इत्यादि विषयों को समाहित कर संघ सरकार में हिंदी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

(ज) प्रतिवेदन के आठवें खंड में समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में उत्तरोत्तर वृध्दि के लिए संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गईं। प्रतिवेदन का आठवां खंड महामहिम राष्ट्रपति जी को दिनांक 16.08.2005 को प्रस्तुत किया गया । इस खण्ड में समिति द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम 1976 के नियम 5, हिन्दी में पत्राचार प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रालयवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद, कम्प्यूटरीकरण और हिन्दी, भर्ती नियमों में हिन्दी ज्ञान की अनिवार्यता, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम की उपलब्धता, हिन्दी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के वाणिज्यिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग आदि से संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरांत संस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं । कुल 75 संस्तुतियाँ की गईं

जिनमें केवल 13 ऐसी थीं जिसे राष्ट्रपति जी ने स्वीकार नहीं किया । बाकी 62 संस्तुतियाँ उसी रूप में या कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गईं ।

15.2 समिति के प्रतिवेदन के आठ खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इन आदेशों में इस समिति की सिफारिशें भी उल्लिखित हैं । राष्ट्रपति जी के इन आदेशों का प्रकाशित संकलन संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय में उपलब्ध है।

15.3 प्रतिवेदन का यह नौंवां खण्ड है । इस खंड के चार भाग हैं । भाग-1 के अध्याय-1 में संसदीय राजभाषा समिति के गठन, सदस्यता, कार्यकलाप तथा राजभाषा संबंधी सांविधिक उपबन्धों एवं समय-समय पर बनाए गए आयोगों का विवरण दिया गया है । इसके अतिरिक्त, इसमें राष्ट्रपति जी के आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम 1976 आदि का विस्तृत विवरण शामिल है ।

अध्याय-2 में समिति के प्रतिवेदन के पिछले आठ खंडों पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है । इसके अतिरिक्त समिति की सिफारिशें जिन्हें आंशिक रूप से स्वीकार किया गया अथवा स्वीकार नहीं किया गया, उनका ब्यौरा भी इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय -3 में प्रतिवेदन के नौंवे खंड का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में पुन: समिति के बारे में संक्षिप्त विवरण के पश्चात समिति के उद्देश्यों तथा समिति द्वारा 01 अप्रैल, 2005 से 30 सितम्बर, 2010 के बीच किए गए निरीक्षणों पर आधारित समीक्षा का वर्णन किया गया है। संक्षेप में अध्याय-3 पूरे प्रतिवेदन का आइना है जो प्रत्येक अध्याय की संक्षिप्त किन्तु सटीक छवि दर्शाता है।

अध्याय-4 में समिति ने समिति के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन तथा समिति के कार्य में सहयोग देने वाले विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों तथा सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग के प्रति अपना आभार प्रकट किया है। समिति की सचिव के प्रति विशेष आभार प्रकट किया गया है ।

प्रतिवेदन के भाग-2 में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 01 अप्रैल, 2005 से 30 सितम्बर, 2010 के बीच किए गए निरीक्षणों के आधार पर हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा मंत्रालयवार और क्षेत्रवार की गई है। इसके अतिरिक्त 869 कार्यालय जिनका निरीक्षण प्रथम बार किया गया व 236 कार्यालय जिनका 10 वर्षों के उपरांत पुन: निरीक्षण किया गया उनमें हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति दर्शाते हुए उनकी समीक्षा की गई है।

भाग-3 में समिति ने अपने अनुभवों के आधार पर नराकास की सार्थकता तथा बेहतर कार्यान्वयन के उपाय, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में तकनीक की उपलब्धता एवं भूमिका, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी की स्थिति, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा पूर्व हिन्दी ज्ञान की अनिवार्यता, केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों में हिन्दी भाषा के प्रयोग की विशेषताएं, हिन्दी पुस्तकों का क्रय तथा गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य एवं महत्व का उल्लेख किया है तथा समिति द्वारा आयोजित मौखिक साक्ष्यों के दौरान प्राप्त सूचनाओं का समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

15.4 प्रतिवेदन के विभिन्न अध्यायों के विस्तृत विश्लेषण से उभर कर आए तथ्यों के आधार पर समिति निम्नलिखित सिफारिशें करती है -

सिफारिशें

1. समिति का यह अनुभव है कि सामूहिक विवेक से तैयार की गई संस्तुतियों पर राजभाषा विभाग में गहराई से विचार-विमर्श नहीं किया जाता है । इसलिए समिति की सिफारिशों पर कारगर आदेश जारी नहीं हो पाते जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं । अतः समिति का यह सुझाव है कि समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर आदेश जारी करने से पहले राजभाषा विभाग समिति के साथ विचार विमर्श कर ले । तत्पश्चात, राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद राजभाषा विभाग केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में उन आदेशों का समयबध्द रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करे ।

2. समिति के प्रतिवेदन के पिछले आठ खंडों में अस्वीकृत संस्तुतियों अथवा संशोधन के साथ स्वीकृत संस्तुतियों की समीक्षा की जाए तथा समिति की संस्तुतियों के अनुरूप उपयुक्त आदेश जारी किए जाएं ।

(क्रम संख्याः1-2 का संदर्भ: भाग-1 अध्याय-2**)**

3. समिति के प्रतिवेदन के आठवें खंड में जिन मंत्रालयों/विभागों में 25% से अधिक अधिकारी कर्मचारी हिन्दी में अप्रशिक्षित पाए गए थे उनकी स्थिति में अब निश्चित रूप से सुधार हुआ है परन्तु जिन मंत्रालयों/विभागों में जहां उस समय प्रशिक्षण कार्य पूरा हो चुका था अब हिन्दी में अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या में वृध्दि हो गई है । इसे समिति ने गंभीरता से लेते हुए सिफारिश की है कि ये मंत्रालय/विभाग प्रशिक्षण कार्य की ओर विशेष ध्यान दें और प्रशिक्षण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाएं ताकि प्रशिक्षण कार्य एक वर्ष में पूरा हो सके। समिति यह सिफारिश करती है कि यदि नए भर्ती होने वाले कार्मिकों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नही है तो भर्ती के तुरंत बाद ही सरकार को उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए ।

4 समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग अपने निरीक्षण तंत्र को और मजबूत करे तथा इस ओर विशेष ध्यान दे कि हिन्दी में मूल पत्राचार का प्रतिशत किसी भी मंत्रालय/विभाग में घटने न पाए बल्कि इसमें वृध्दि ही हो।

5. समिति ने पाया कि 11 मंत्रालयों/विभागों में कम्प्यूटरों पर 50 प्रतिशत से अधिक काम हिन्दी मे हो रहा है । विदेश मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तो कार्य 20 प्रतिशत से भी कम है । अत: समिति यह सिफारिश करती है कि सभी मंत्रालयों/विभागों में कंप्यूटरों पर अविलम्ब द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कंप्यूटरों पर काम करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे हिन्दी में भी कार्य कर सकें ।

6. समिति के देखने में यह भी आया है कि कतिपय विभाग/मंत्रालय आदि हिंदी प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए बुलाए जाने वाले अतिथि वक्ताओं को अन्य विषयों के वक्ताओं की तुलना में कम मानदेय देते हैं। हिंदी अतिथि वक्ताओं को भी अन्य विषयों के वक्ताओं के समान ही मानदेय दिया जाना चाहिए।

7. सचिव (राजभाषा विभाग) राजभाषा नियम, 1976 का नियम 5 के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ उठाएं।

8. सचिव (राजभाषा विभाग) धारा 3(3) के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ उठाएं।

(क्रम संख्याः3-8 का संदर्भः भाग-2 अध्याय-5**)**

9. हिन्दी जानने वाले कार्मिकों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाए। इसके लिए डेस्क प्रशिक्षण भी कारगर साबित हो सकता है। "क" एवं "ख" क्षेत्रों में विशेष रूप से इस प्रयास को तेज किया जाए। "ग" क्षेत्र में समयबध्द कार्यक्रम बना कर सर्वप्रथम कार्मिकों को हिन्दी शिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए।

10. कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम करने के संबंध में राजभाषा विभाग एक कार्यक्रम तैयार कर हिन्दी शिक्षण योजना के सहयोग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करे ।

11. प्रत्येक कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि कार्यालय द्वारा पत्राचार के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में किसी एक दिन सभी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा हिन्दी में किए गए कार्य की समीक्षा करें और आगामी माह के लिए हिन्दी में कार्य करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करें अर्थात उन्हें क्या-क्या काम हिन्दी में करने हैं इस संबंध में निर्देश दें।

12. समिति यह भी संस्तुति करती है कि विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा संबंधी रिक्त पडे हुए पदों को अविलम्ब भरा जाए।

13. प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाने के संबंध में व्यापक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

14. प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ अपने कार्यान्वयन में सुधार लाएँ और सभी बैठकों में उपर्युक्त सभी मदों की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर किया जाए।

15. सभी संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट में दो कॉलम जोडे जाएं:-

क) अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हिन्दी में कार्य करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
ख) अधिकारी/कर्मचारी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुआ, इस बारे में उच्चाधिकारी अपनी टिप्पणी दें।

16. समिति यह संस्तुति करती है कि निरीक्षण कार्य के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया जाए और जब भी कोई अधिकारी (वरिष्ठतम अधिकारी सहित) अपने किसी अधीनस्थ कार्यालय में निरीक्षण या दौरे पर जाए तो उससे उक्त प्रोफार्मा को अनिवार्य रूप से भरवाया जाए और राजभाषा का निरीक्षण अवश्य करवाया जाए। यह

सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कार्यालय का वर्ष में कम से कम एक राजभाषा संबंधी निरीक्षण अवश्य हो चाहे किसी भी स्तर पर हो। यह निरीक्षण मंत्रालय, मुख्यालय या राजभाषा विभाग द्वारा किया जा सकता है।

17. मॉनिटरिंग के इसी क्रम में प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अवश्य सुनिश्चित की जाए और बैठक के दौरान कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में हो रही राजभाषा संबंधी प्रगति पर नजर रखी जाए।

(क्रम संख्याः9-17 का संदर्भ भाग-2 अध्याय-7**)**

18. सभी मंत्रालय/मुख्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रणाधीन सभी छोटे बडे कार्यालय, बैंक, उपक्रम, संस्थान, अधिकरण आदि अपने अपने नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य बन गए हैं।

19. राजभाषा विभाग केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी की प्रगामी प्रगति के लिए बनाए गए निरीक्षण प्रोफार्मा तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रोफार्मा में निम्नलिखित मुद्दें भी समाहित करें:-

क. क्या आपके नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है ?

ख. क्या आपका कार्यालय इसका सदस्य है ?

ग. यदि हां, तो पिछली बैठक (तारीख) में भाग लेने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम

घ. यदि सदस्य नहीं है तो अब तक सदस्यता क्यों नहीं ग्रहण की गई ?

20. परस्पर समन्वय की भावना होनी चाहिए और इसके लिए यदि अध्यक्ष कार्यालय में हिन्दी अधिकारी का पद नहीं है तो ऐसी स्थिति में नगर के किसी दूसरे कार्यालय से किसी सक्षम, अनुभवी हिन्दी अधिकारी को समिति का सदस्य सचिव बनाया जा सकता है । किसी अन्य अधिकारी जो हिन्दी अधिकारी नहीं है उसे यह दायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिए। नराकास की गतिविधियों को अनवरत रखने के लिए राजभाषा अधिकारी को ही नराकास के सदस्य सचिव का दायित्व सौंपा जाना चाहिए ।

21. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन में व्यय होने वाली राशि के संबंध में समिति द्वारा आठवें खंड में की गई सिफारिश को अविलंब लागू किया जाए । साथ ही, आयोजन हेतु प्रदान की जाने वाली इस राशि में प्रतिवर्ष 15% की वृध्दि की जाए ।

22. सभी केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कम से कम एक हिन्दी पद अवश्य सृजित किया जाए । राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम हिन्दी पद सृजन की इस अवधारणा को तत्काल लागू किया जाए ।

23 एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त पड़े हुए हिन्दी के पदों को समाप्त नहीं किया जाए ।

24. परस्पर विचारों के आदान-प्रदान हेतु राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्र क, ख तथा ग में प्रतिवर्ष सचिव, राजभाषा विभाग के साथ नराकास अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों की एक समागम बैठक आयोजित की जाए।

25. राजभाषा विभाग को नराकास की बैठकों के आयोजन, उनमें कार्यालयाध्यक्षों की सहभागिता, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से अधिकारियों की इन बैठकों में उपस्थिति आदि की सूचना क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से उपलब्ध कराकर नराकासों की मॉनीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ क़िया जाए ताकि इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूरा हो सके ।

26. जैसे-जैसे पूरे देश में इन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या बढ रही है उसी अनुपात में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की संख्या व उनके पदों की संख्या बढाई जाए ।

(क्रम संख्याः18-26 का संदर्भः भाग-3 अध्याय-8)

27. समिति का मानना है कि एक ऐसा मानक फोन्ट विकसित किया जाए जिसका प्रयोग देश-विदेश में आसानी से किया जा सके तथा इसे अनिवार्य रूप में सभी उपलब्ध सॉपऊटवेयरों में लोड किया जाए। इसके साथ ही हिन्दी के मानक की-बोर्ड का चयन कर इसे अनिवार्य रूप से सभी सॉपऊटवेयरों में लोड किया जाए।

28. समिति का मत है कि एन.आई.सी. द्वारा वेबसाइट से संबंधित उसी सामग्री/आंकड़ों को ही वेबसाइट पर डालने के लिए स्वीकृत किया जाए जिसे द्विभाषी रूप में उन्हें उपलब्ध कराया जाए।

29. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में सीडेक द्वारा विकसित सॉफ्टवेअरों की उपलब्धता के संबंध में एक जागरूकता अभियान चलाया जाए जो इनकी जानकारी आगे अपने अधीनस्थ और सम्बध्द कार्यालयों को दें। इसमें सॉफ्टवेअर पैकेजों की मुख्य विशेषताओं, उसकी उपयुक्तता और उनके मूल्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए ।

30. सॉफ्टवेअर पैकेज की विभिन्न विशेषताओं और उसकी उपयोगिता के संबंध में उपभोक्ताओं को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक उपभोक्ता को इस प्रकार प्रशिक्षण देना सम्भव नहीं है अत: सॉफ्टवेअर विकास करने वाले अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सीडेक सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर विचार कर सकता है ताकि ये प्रशिक्षक अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों के उपभोक्ताओं तक यह कौशल पहुंचा सकें ।

31. सभी सॉफ्टवेअर विकासकों (सीडेक और अन्य) के लिए सुझाव है कि उपभोक्ताओं से पुनर्निवेशन प्रतिपुष्टि की एक प्रक्रिया शुरू करें और इसके आधार पर इनकी आवश्यकतानुसार अपने उत्पाद में बदलाव लाए तथा अभावों को यदि कोई हो दूर कर सकें ।

32. सभी हिन्दी अधिकारियों के लिए एक वर्ष के अन्दर विशेष कार्यशालाएं लगाई जाएं । उन्हें हिन्दी संबंधित कार्य और यूनीकोड का अभ्यास करवाया जाए । उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाए तथा प्रशिक्षण के बाद उनकी गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टि की जाए । उपरोक्त विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा राजभाषा विभाग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों के लिए प्रयोगात्मक कक्षाएं ली जाएं, तत्पश्चात् अन्य हिंदी अधिकारियों को भी यही प्रशिक्षण दिया जाए ।

(क्रम संख्याः27-32 का संदर्भः भाग-3 अध्याय-9)

33. मानव संसाधन मंत्रालय को हिन्दी भाषा का पठन अनिवार्य बनाए जाने के लिए सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रथम प्रयास के रूप में देश में केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में दसवीं कक्षा तक हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में पढाया जाए।

34. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में स्वायतता के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने संसद तथा विधान सभाओं में कुछ कानून बनाए हैं जिसके अंतर्गत कुछ विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में केवल अंग्रेजी में ही शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है । इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सिध्दांत होने चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी शिक्षण लागू करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय कार्ययोजना बनाए और एक समान कानून लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू करे तथा कानून बनाकर संसद के पटल पर रखे।

35. जिन विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में हिन्दी विभाग नहीं है, मानव संसाधन मंत्रालय को उनका पता लगाकर वहाँ हिन्दी विभाग खोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि यह विभाग हिन्दी माघ्यम से शिक्षा देने के लिए सहायता दे सके।

36. जिन हिन्दीत्तर राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों की परीक्षाओं/साक्षात्कारों में परीक्षार्थियों को हिन्दी में उत्तर देने का विकल्प नहीं है उनमें परीक्षार्थियों को हिन्दी में उत्तर देने का विकल्प प्रदान किया जाए।

37. हिन्दीत्तर राज्यों में स्थित स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान नाम मात्र का है। मानव संसाधन मंत्रालय इसे बढाने के लिए ठोस कार्रवाई करे ।

38. हिन्दी में पाठय सामग्री तथा पाठय पुस्तकों को संबंधित विषयों के ऐसे विशेषज्ञ प्रोफेसरों, जिन्हें हिन्दी का भी ज्ञान हो, से ही तैयार करवाया जाए तथा उन्हें ही हिन्दी पाठय सामग्री तथा पाठय पुस्तकों को सही रूप में उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए जिससे किसी प्रकार की त्रुटि रहने की संभावना न हो।

39. स्कूली स्तर, स्नातक स्तर तथा विशेषकर स्नाकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों के लिए हिन्दी की पाठय सामग्री अंग्रेजी के मुकाबले काफी कम मात्रा में उपलब्ध है। यदि शिक्षण-प्रशिक्षण सामग्री सरल हिन्दी में भी उपलब्ध करा दी जाए तो हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त छात्रों को निश्चय ही लाभ मिलेगा तथा वे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाने वाले छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

40. ज्ञान-विज्ञान के मौलिक ग्रंथों को सरल हिन्दी में लिखा जाए ।

41. तकनीकी विषयों में लेखन के लिए हिन्दी लेखकों तथा अनुवादकों का चयन किया जाए तथा विदेशी छात्रों को हिन्दी पढाने के लिए विश्वविद्यालयों का चयन किया जाए।

42. विभिन्न निरीक्षणों मौखिक साक्ष्यों तथा विचार-विमर्श कार्यक्रमों के दौरान समिति ने महसूस किया है कि हिंदी के कठिन शब्दों के व्यवहारिक प्रयोग में कठिनाई आ रही है। अत: हिन्दी की पाठय-सामग्रियों, शब्दावलियों आदि की भाषा को आसानी से समझने एवं व्यवहारिक प्रयोग के लिए हिंदी के कठिन शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी शब्दों का यथावत हिंदी में प्रयोग किया जाए ।

43. विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों के भिन्न-भिन्न हिन्दी पर्याय प्रयोग में लाए जा रहे है जिससे राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अत: इसके लिए शीघ्र मानक शब्दावलियों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे अंग्रेजी के विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्यायों में एकरूपता आ सके तथा जटिल वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों को भी सरलता से हिन्दी में प्रस्तुत किया जा सके ।

(क्रम संख्याः**33-43** का संदर्भः भाग-**3** अध्याय-**10)**

44. शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी शिक्षण का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए।

45. केन्द्र सरकार में नौकरियों की भर्ती के लिए प्रश्न पत्रों में हिन्दी का विकल्प सुनिश्चित किया जाए।

46. सरकारी नौकरियों के लिए हिन्दी ज्ञान का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए।

47. स्कूलों में दसवीं कक्षा तक हिन्दी शिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाए।

(क्रम संख्याः**44-47** का संदर्भ भाग-**3** अध्याय-**11)**

48. समिति पुनः संस्तुति करती है कि किसी भी स्थिति में कम से कम 50% धन हिन्दी विज्ञापनों पर तथा शेष 50% क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी पर किया जाए।

49. जहाँ तक संभव हो हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में ही विज्ञापन जारी किए जाएं।

50. जहाँ विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी करने आवश्यक हों वहाँ उन्हें डिग्लॉट रूप में दिया जाए।

51. लागत को समान रखने के लिए हिन्दी के विज्ञापन बडे आकार में तथा मुख पृष्ठ पर दिए जाएं जबकि अंग्रेजी के विज्ञापन छोटे आकार में अंतिम पृष्ठ या बीच के पृष्ठ पर दिए जा सकते हैं।

(क्रम संख्याः**48-51** का संदर्भ भाग-**3** अध्याय-**12)**

52. समिति का मत है कि वैज्ञानिक/अनुसंधान एवं शोध संस्थानों द्वारा एक बड़ी राशि पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाती है । यदि यह छूट जारी रही तो पुस्तकालय के बजट के अधिकांश राशि जर्नल और संदर्भ साहित्य की खरीद पर ही व्यय होती रहेगी और हिन्दी की पुस्तकों की खरीद पर प्रतिकूल प्रभाव पडेग़ा और

उनके लिये लक्ष्य प्राप्ति करना मुश्किल होगा । अत: इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए जाए कि किसी भी स्थिति में पुस्तकों पर होने वाली कुल राशि का 50% हिन्दी की पुस्तकों पर खर्च किया जाए । समिति का सुझाव है कि जिन कार्यालयों में पुस्तकालय अनुदान का कोई बजट आबंटन न हो तो वहां कुल कार्यालयीन व्यय (Office Expenses) का न्यूनतम एक प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों पर खर्च किया जाए । यहॉ यह भी ध्यान रखना है कि पचास प्रतिशत या एक प्रतिशत के सन्दर्भ में जो भी राशि अधिक हो वह हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाएगी ।

53. मौलिक पुस्तक लेखन योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जाए और पुरस्कार राशि में वृध्दि की जाए ।

54. सरकारी सेवा में ऐसे कई अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जो अपनी नौकरी के साथ-साथ रचनात्मक कार्य से भी जुड़े हैं और हिन्दी साहित्य की अभिवृध्दि में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं । समिति का सुझाव है कि ऐसे प्रतिभाशाली कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन या पदोन्नति दी जाए ।

55. अंग्रेजी की अच्छी और उपयोगी पुस्तकों के उत्तम अनुवाद को भी प्रोत्साहित किया जाए और इस संबंध में भी योजना तैयार की जाए । इसे "उत्कृष्ट अनुवाद योजना" का नाम दिया जा सकता है।

56. समिति यह संस्तुति करती है कि सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में वेलफेयर क्लब्स के माध्यम से पुस्तक क्लब गठित किए जाएं।

57. समिति का मत है कि एयर इंडिया अपनी समय सारणी द्विभाषी रूप में छपवाएं ताकि नियमों की अवहेलना न हो।

58. समिति यह संस्तुति करती है कि स्वागत पत्रिका को पुनः एक ही जिल्द में द्विभाषी छपवाया जाए।

59. समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग संबंधित मंत्रालय/विभाग के परामर्श से गोपनीय रिपोर्ट के फार्म में एक अलग कॉलम "हिन्दी में लेख आदि लिखने की क्षमता" जुडवाने पर विचार करें।

60. समिति का मत है कि क्षेत्र के आधार पर गृह पत्रिकाओं को हिन्दी और संबंधित क्षेत्र विशेष की भाषा में छापा जाए ताकि क्षेत्रीय भाषा में लेखन क्षमता रखने वाले कर्मचारियों को भी अवसर और प्रोत्साहन मिले।

(क्रम संख्याः 52-60 का संदर्भ भाग-3 अध्याय-13**)**

61. रेल मंत्रालय द्वारा भविष्य में केवल ऐसे इलेक्ट्रानिक यंत्र/उपकरण ही खरीदे जाएं और प्रयोग में लाए जाएं जिन पर देवनागरी में भी कार्य करने की सुविधा हो । जो टेलिप्रिंटर/टेलेक्स, कंप्यूटर, शब्द संसाधक आदि केवल रोमन के हैं, उन पर अविलम्ब देवनागरी में कार्य करने की सुविधा सुलभ कराई जानी चाहिए।

62. नए सृजित हिन्दी पदों तथा खाली पड़े हिन्दी पदों को तत्काल भरा जाए ।

63. हिन्दी कंप्यूटिंग फाउंडेशन नामक संस्थान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों विशेषकर रेलवे विभाग में हिन्दी को अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान देने, कंप्यूटर पर हिन्दी सिखाने तथा हिन्दी सापऊटवेयर विकसित करने के संबंध में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। इस संस्थान को रेल मंत्रालय की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि स्व विकसित प्रौद्योगिकी के सदुपयोग से रेल मंत्रालय की बाहरी संसाधनों (out sourcing) पर निर्भरता समाप्त की जा सके।

64. रेलवे बोर्ड तथा देश भर में स्थित उसके अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में कंप्यूटरों में उपयोग में लाए जा रहे हिन्दी सापऊटवेयरों का मानकीकरण किया जाना चाहिए।

65. पूरे देश में विशेषकर "ग" क्षेत्र में स्थित रेलवे स्टेशनों पर अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं सहित हिन्दी में भी अनिवार्य रूप से उद्घोषणाएं की जानी चाहिए ।

66. रेल मंत्रालयों के उपक्रमों/कारखानों द्वारा निर्मित उत्पाद का नाम तथा अन्य विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाने चाहिए ।

67. रेल मंत्रालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी से संबंधित पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के समान वेतनमान दिए जाने चाहिए और इन्हें समुचित पदोन्नति के अवसर दिए जाने चाहिए ।

68. रेल मंत्रालय की तीन आधिकारिक वेबसाइट मौजूद होने के कारण कई बार भ्रामक स्थिति पैदा होती है। अत: स्थिति स्पष्ट करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अपनी एक आधिकारिक वेबसाइट को ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए और उसे पूर्णत: द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

69. सभी रेल टिकटों में पूरी जानकारी द्विभाषी रूप में ही दी जानी चाहिए ताकि हिन्दी पढने समझने वाले जन साधारण को असुविधा न हो ।

70. रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए सभी विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए और विभिन्न रेल गाड़ियों के डिब्बों के अंदर और बाहर दिए जाने वाले विज्ञापनों में हिन्दी को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए । विशेषकर रेलवे स्टेशनों और रेलवे के परिसर में विज्ञापन संबंधी बैनर, होर्डिंग्स आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी होने चाहिए।

71. रेलवे बोर्ड द्वारा सभी निविदाओं की सूचना एवं फार्म द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाने चाहिए।

(क्रम संख्या:61-71 का संदर्भ भाग-3 अध्याय-14)

संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष विदेश मंत्रालय के सचिव एवं मंत्रालय के 08 अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों के साथ हुए मौखिक साक्ष्य के दृष्टिगत समिति निम्नलिखित सुझाव देती है:-

72. हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विदेश मंत्रालय का एक समयबध्द कार्य योजना बनाकर उसे निष्पादित करना चाहिए ।

73. सभी पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट प्रपत्र द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराएं जाएंगे तथा आवेदकों द्वारा हिन्दी में भरे हुए प्रपत्र स्वीकार किए जाएंगे । जारी किए गए सभी पासपोर्टों में संपूर्ण प्रविष्टियां हिन्दी में भी की जानी चाहिए ।

74. मंत्रालय की वेबसाइट पर पासपोर्ट एवं वीजा संबंधी विस्तृत जानकारी एवं अन्य सूचना हिन्दी में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

75. विदेश मंत्रालय के विदेशों में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों/दूतावासों इत्यादि में हिन्दी के पदों का सृजन किया जाना चाहिए । जिन कार्यालयों/दूतावासों में हिन्दी के पद रिक्त पड़े हुए हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र भरा जाना चाहिए ।

76. विदेश सेवा के अधिकारियों को संघ सरकार की राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियम और अधिनियम की पर्याप्त जानकारी देने के लिए उनके प्रशिक्षण पाठयक्रम में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए ।

77. विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'इंडिया पर्सपेक्टिवस' नामक उत्कृष्ट पुस्तक के अंक हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करणों की समान संख्या प्रकाशित की जानी चाहिए ।

78. सभी पासपोर्ट कार्यालयों में प्रयोग में लाए गए कंप्यूटरों पर हिन्दी में काम करने की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए, विशेषकर कंप्यूटरों पर कार्य मुख्यतया हिन्दी में ही किया जाना चाहिए।

79. राजभाषा नीति का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए।

80. एअर इंडिया और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि0 द्वारा सभी टिकटों पर हिंदी का समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

81. मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित वेतनमान एवं पदोन्नति के उचित अवसर दिए जाने चाहिए और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए।

82. भविष्य में समिति की राजभाषा संबंधी सभी निरीक्षण बैठकों में मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

83. मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में अप्रशिक्षित कार्मिकों को प्रशिक्षण देने तथा रिक्त पड़े हुए हिंदी पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए समयबध्द कार्रवाई की जानी चाहिए।

84. मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को समयबध्द प्रशिक्षण देकर इन्हें हिंदी कार्यशालाओं में नामित किया जाना चाहिए।

85. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली में निर्धारित मानदंडों के अनुसार हिंदी का एक पद सृजित किया जाना चाहिए और अकादमी की संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री हिन्दी में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

86. नैसिल द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं **"स्वागत"** और **"नमस्कार"** के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों की सामग्री एवं उनकी प्रतियां समान होनी चाहिए ताकि सभी यात्रियों को इन लोकप्रिय पत्रिकाओं का हिन्दी संस्करण आसानी से उपलब्ध हो सके ।

87. मंत्रालय और इसके सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए और वेबसाइट को अद्यतन करते समय हिंदी के पृष्ठों को भी अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए।

(क्रम संख्याः72-87 का संदर्भ भाग-3 अध्याय-14**)**

88. समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यय हिन्दी विज्ञापनों पर करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 2007 से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।

89. आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा हिन्दी के सभी अनुवादक-सह-उदघोषकों को नेपाली, फ्रेंच एवं अन्य विदेशी भाषाओं के अनुवादक-सह-उद्घोषकों के समान वेतनमान दिया जाना चाहिए।

90. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय नामत: भारतीय जनसंचार संस्थान में कार्यरत हिन्दी अधिकारी को छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप वेतनमान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार मंत्रालय के एक अन्य अधीनस्थ कार्यालय भारतीय प्रेस परिषद में कार्यरत हिन्दी का कार्य देख रहे कर्मचारी को नियमानुसार समुचित पदोन्नति दी जानी चाहिए ।

91. देश भर में स्थित विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों एवं दूरदर्शन केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत इनमें लंबे समय से रिक्त पड़े हिन्दी पदों को प्राथमिकता आधार पर भरा जाना चाहिए।

92. आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के सभी केन्द्रों द्वारा हिन्दी में प्रसारित कार्यक्रमों की अवधि निश्चित की जानी चाहिए ।

93. प्रकाशन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं कार्यालयों के लिए मूल नियमों एवं अनुपूरक नियमों के संकलन का हिन्दी प्रकाशन किया जाना चाहिए और इसे सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए।

94. मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा देश में आयोजित किए जाने वाले सभी फिल्म समारोहों में प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों की हिन्दी में डबिंग/सबटाइटलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उत्कृष्ट फिल्मों के जरिए दर्शकों को हिन्दी से जोड़ा जा सके।

95. मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्मित क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की हिन्दी में डबिंग/सबटाइटलिंग कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही, निगम द्वारा फिल्म निर्माण संबंधी अपने उपनियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि निगम द्वारा निर्मित फिल्मों के निर्माण के प्रथम चरण में फिल्मों की पटकथा हिन्दी में भी तैयार की जा सके और सभी संबंधितों को सुलभ कराई जा सके ।

(क्रम संख्याः88-95 का संदर्भ भाग-3 अध्याय-14**)**

96. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले सभी कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र आदि को विभाग की वेबसाइट पर हिंदी में भी तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और वेबसाइट पर दी गई सूचना को अद्यतन करते समय इसके हिन्दी पाठ को भी उसी समय अद्यतन किया जाना चाहिए ।

97. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सभी कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र आदि का संकलन प्रकाशन विभाग के माधयम से प्रकाशित कराया जाना चाहिए और इसे सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए।

98. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का अधीनस्थ संगठन है जो प्रशासन एवं लोक नीति के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत का अग्रणी संस्थान है जिसका मुख्य कार्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शत प्रतिशत प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

99. समिति का सुझाव है कि अकादमी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों को अन्य विषयों के साथ-साथ संघ सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के विषय में भी प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करे ताकि सभी अधिकारी अपनी नियुक्ति वाले कार्यालय में राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन की निगरानी स्वयं कर सकें ।

100. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा देश भर में स्थित विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पड़े हुए हिन्दी पदों को तत्काल भरने के लिए ठोस एवं कारगर कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना चाहिए ।

101. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित अंतर्विभागीय परीक्षाओं में हिंदी भाषा का विकल्प चुनने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए भाषा ज्ञान संबंधी प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में देना अनिवार्य नहीं होना चाहिए ।

102. एक समयबध्द कार्यक्रम बनाकर कर्मचारी चयन आयोग के अधीन इनके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों /कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षण दिलवाया जाए तथा इन कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाए ।

103. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं में हिंदी भाषा का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसका कारण परीक्षाओं का तकनीकी विषय होना बताया गया है । समिति इसे स्वीकार करने से इंकार करती है और यह सुझाव देती है कि प्रतिभाशाली हिन्दी भाषी परीक्षार्थियों को समुचित अवसर देने के लिए आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में हिंदी का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

104. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्रबंधकीय नीति का निर्धारण करने एवं इन उद्यमों के लिए वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति हेतु सरकार को सलाह देने के लिए गठित सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा सभी विज्ञापन द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाने चाहिए ।

(क्रम संख्याः96-104 का संदर्भ भाग-3 अध्याय-14**)**

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों द्वारा की गई संस्तुतियाँ निम्न प्रकार हैं :-

105. सर्वोच्च राजकीय पदों पर बैठे सभी को, विशेषकर जिन्हें हिन्दी बोलनी और पढनी आती है, वे अपने भाषणवक्तवय हिन्दी में ही दें या पढे लृसका आग्रह करना चाहिए। इस श्रेणी में राष्ट्रपति सहित सभी मंत्री आते हैं ।

106. संसद में हिन्दी या मातृभाषा का उपयोग करने के संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद- 120(2) का पालन कराने के लिए योग्य पहल करनी चाहिए ।

107. अंग्रेजी के प्रभुत्व को (उपयोग को नहीं) जड से समाप्त करने, हिन्दी या मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा न देने वाली शालाओं को शासकीय मान्यता नहीं देनी चाहिए ।

108. केन्द्रीय कार्यालयों में काम चाहने वालों को पद के अनुसार हिन्दी प्रतियोगिता परीक्षा उतीर्ण करने का प्रावधान करना चाहिए।

109. विज्ञापनों पर खर्च संबंधी नियमों को अधिक कठोरता से पालन कराने का प्रावधान करना चाहिए।

क्रम संख्याः**105-109** का संदर्भः (श्री श्रीगोपाल व्यास, सदस्य, राज्य सभा द्वारा दिए गए सुझाव-अनुलग्नक-**I)**

110. राजभाषा अधिनियम का अनुपालन नहीं करने पर दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए । "क" और "ख" क्षेत्रों के लिए दण्ड का प्रावधान अनिवार्य हो । "ग" क्षेत्र के लिए प्रोन्नति में विशेष अंक देने की व्यवस्था की जाए ।

111. सभी सरकारी उपक्रमों, सरकारी अनुदान पाने वाली संस्थाओं, सार्वजनिक सेवा में लगी निजी कंपनियों तथा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के पत्र और पत्रिका को अनिवार्य किया जाए । अंग्रेजी से उनकी संख्या अधिक हो । संख्या पर जोर दिया जाना चाहिए ।

112. सरकारी प्रेसों में जो भी छपाई हो उसमें हिन्दी की संख्या आधे से अधिक हो ।

113 सभी भारतीय हवाई जहाजों पर हिन्दी के पत्र और पत्रिका आधा जरूर रहे । विमानों में हिन्दी की घोर उपेक्षा की जाती है । सभी उद्घोषणा हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में हो ।

114. सभी कम्पनियों के उत्पादों पर हिन्दी में विवरण दिये जाये ओर उनके नाम देवनागरी में भी लिखा जाए ।

115. सभी सार्वजनिक स्थलों पर सूचनापट पर या नामपट देवनागरी में लगाया जाए । सभी सरकारी अर्ध्दसरकारी और निजी कार्यालयों के नामपट देवनागरी में रहें, नीचे अंग्रेजी में लिखा जाए ।

116. जिन कम्पनियों में जनता का शेयर और सरकार का शेयर लगा है उसमें हिन्दी का प्रयोग राजभाषा अधिनियम के अनुसार अवश्य हो ।

क्रम संख्याः110-116 का संदर्भः (श्री हुक्मदेव नारायण यादव, सदस्य, लोक सभा द्वारा दिए गए सुझाव-अनुलग्नक-**II)**

117. अनुलग्नक-3 पर राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए सुझावों पर समिति का मत है कि राजभाषा विभाग उक्त सुझावों के कार्यान्वयन के लिए द्रुत गति से कार्य करे ।

क्रम संख्याः117 का संदर्भः (राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए सुझाव - अनुलग्नक-**III)**

115. सभी सार्वजनिक स्थलों पर सूचनापट पर या नामपट देवनागरी में लगाया जाए । सभी सरकारी अर्ध्दसरकारी और निजी कार्यालयों के नामपट देवनागरी में रहें, नीचे अंग्रेजी में लिखा जाए ।

116. जिन कम्पनियों में जनता का शेयर और सरकार का शेयर लगा है उसमें हिन्दी का प्रयोग राजभाषा अधिनियम के अनुसार अवश्य हो ।

क्रम संख्या:110-116 का संदर्भः (श्री हुक्मदेव नारायण यादव, सदस्य, लोक सभा द्वारा दिए गए सुझाव- अनुलग्नक-II)

117. अनुलग्नक-3 पर राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए सुझावों पर समिति का मत है कि राजभाषा विभाग उक्त सुझावों के कार्यान्वयन के लिए द्रुत गति से कार्य करे ।

क्रम संख्या:117 का संदर्भः (राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए सुझाव - अनुलग्नक-III)

1 (पी. चिदम्बरम)

2 (सत्यव्रत चतुर्वेदी)

3 (राजेन्द्र अग्रवाल)

4 (डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी)

5 (प्रो. अलका बलराम क्षत्रिय)

6 (श्रीगोपाल व्यास)

7 (शिवानंद तिवारी)

8 (प्रदीप टम्टा)

9 (दिनेश चन्द्र यादव)

10 (निनोंग ईरिंग)

11 (अशोक अर्गल)

12 (गजानन डी. बाबर)

13 (महाबल मिश्रा)

14 (दारा सिंह चौहान)

15 (डॉ. निर्मल खत्री)

16 (किशन भाई वी. पटेल)

17 (रमेश बैस)

18 (वाई.पी. त्रिवेदी)

19 (ब्रजेश पाठक)

20 (डॉ. बोच्चा झांसी लक्ष्मी)

21 (धर्मेन्द्र यादव)

22 (सुरेश काशीनाथ टावरे)

23 (हुक्मदेव नारायण यादव)

24 (प्रो. रामगोपाल यादव)

25 (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह)

26 (प्रभात झा)

27 (जे.एम. आरोन रशीद)

28 (मदन लाल शर्मा)

29 (मोहम्मद अमीन)

30 (डॉ. राम प्रकाश)

श्रीगोपाल व्यास
बी. ई. (ऑनर्स), एल. एल. बी.
संसद सदस्य
(राज्य सभा)

सदस्य : संसदीय राजभाषा समिति
स्थाई समिति : विदेश एवं प्रवासी भारतीय
परामर्श समिति : उर्वरक, रसायन मंत्रालय
परामर्श समिति : युवक व खेल (हिन्दी)
पूर्व सदस्य : रेलवे स्थायी समिति

नई दिल्ली
09.12.2010

आदरणीया पूनम जी

आपका दि॰19.11.2010 का पत्र संख्याः–13011 / 1 / 2010–समिति–4 मिला है। इसमें नौवें खंड के लिए सुझाव मांगे गये हैं।

नेतृत्व करने वालो को उदाहरण रखना चाहिए , इस न्याय से सरकारी काम–काज में राजभाषा के रुप में सुप्रतिष्ठित करने की पहल सरकार को ही करनी होगी

1. अतः मेरा पहला सुझाव है कि देश के सर्वोच्च राजकीय पदों पर बैठे सभी को, विशेषकर जिन्हें हिन्दी बोलनी और पढ़नी आती है ,वे अपने भाषण / वक्तव्य हिन्दी में ही दें या पढ़े इसका आग्रह करना चाहिए। इस श्रेणी में राष्ट्रपति सहित सभी मंत्री आते है।

2. संसद में हिन्दी या मातृभाषा का उपयोग करने के संवैधानिक प्रावधान अनु॰ 120 (2) का पालन कराने के लिए योग्य पहल करनी चाहिए।

3. अंग्रेजी के प्रभुत्व को (उपयोग को नहीं) जड़ से समाप्त करने हिन्दी या मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा न देने वाली शालाओं को शासकीय मान्यता नहीं देनी चाहिए।

4. केन्द्रीय कार्यालयों में काम चाहने वालो को पद के अनुसार हिन्दी प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान करना चाहिए।

5. विज्ञापनों पर खर्च संबंधी नियमों को अधिक कठोरता से पालन कराने के प्रावधान करने चाहिए।

शुभकामनाओं सहित

श्रीगोपाल
(श्रीगोपाल व्यास)

स्थाई : एम. आई. जी. - 149, टाटीबंद, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492099; स्थानांय : 145, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001
रायपुर दूरभाष : (0771) 2572881; दिल्ली दूरभाष : (011) 23092363 फैक्स: (011) 23092265
E-mail : shreegopal.vyas@sansad.nic.in,shreegopal.vyas@yahoo.co.in

हुक्मदेव नारायण यादव
संसद सदस्य
(लोक सभा)

सदस्य :
- कृषि संबंधी समिति
- परामर्शदात्री समिति - शहरी विकास मंत्रालय
- आश्वासन संबंधी समिति
- संसदीय राजभाषा समिति

4, डा. बिशम्भर दास मार्ग,
नई दिल्ली - 110 001
मोबाइल : 9013180264
09431220044

दिनांक: 23.11.2010

माननीय

उपसभापति जी,
संसदीय राजभाषा समिति।

प्रिय महोदय,

समिति के प्रतिवेदन के नौवें खंड के लिए सुझाव भेज रहा हूँ।

1. राजभाषा अधिनियम का अनुपालन नहीं करने पर दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए। क और ख क्षेत्र के लिए दण्ड का प्रावधान अनिवार्य हो। ग क्षेत्र के लिए प्रोन्नति में विशेष अंक देने की व्यवस्था की जाए।
2. सभी सरकारी उपकमों, सरकारी अनुदान पाने वाली संस्थाओं, सार्वजनिक सेवा में लगी निजी कम्पनियों तथा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के पत्र और पत्रिका को अनिवार्य किया जाए। अंग्रेजी से उनकी संख्या अधिक हो। संख्या पर जोर दिया जाना चाहिए।
3. सरकारी प्रेसों में जो भी छपाई हो उसमें हिन्दी की संख्या आधे से अधिक हो।
4. सभी भारतीय हवाई जहाजों पर हिन्दी के पत्र और पत्रिका आधा जरूर रहे। विमानों में हिन्दी की घोर उपेक्षा की जाती है। सभी उद्घोषणा हिन्दी के साथ–साथ अंग्रेजी में हो।
5. सभी कम्पनियों के उत्पादों पर हिन्दी में विवरण दिये जाये और उनके नाम देवनागरी में भी लिखा जाए।
6. सभी सार्वजनिक स्थलों पर सूचना पट या नामपट देवनागरी में लगाया जाए। सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी कार्यालयों के नामपट देवनागरी में रहे, नीचे अंग्रेजी में लिखा जाए।
7. जिन कम्पनियों में जनता का शेयर और सरकार का शेयर लगा है उसमें हिन्दी का प्रयोग राजभाषा अधिनियम के अनुसार अवश्य हो।

आशा है प्रतिवेदन में इस पर विचार किया जाएगा।
सादर,

आपका,

(हुक्मदेव नारायण यादव)

महत्वपूर्ण
प्राथमिकता

संख्या 1/20012/09/2010-रा.भा.(नीति-1)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
***

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक: 22.02.2011

सेवा में

सचिव,
संसदीय राजभाषा समिति,
11, तीन मूर्ति मार्ग,
नई दिल्ली ।

विषयः- **संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के नौवें खंड में शामिल किए जाने के लिए सुझाव ।**

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर ससदीय राजभाषा समिति सचिवालय के दिनांक 07.12.2010 के पत्र संख्या 13011/1/2010-समिति-4 का संदर्भ लें ।

2. संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के नौवे खण्ड में शामिल करने के लिए राजभाषा विभाग के सुविचारित मत संलग्न है ।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
निदेशक (तकनीकी/नीति)
टैलिफैक्स: 24617 695
E-mail: rakesh.kr@nic.in

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

विषयः-संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के 9वें खण्ड में शामिल किए जाने के लिए राजभाषा विभाग के सुझाव ।

1. हिंदी के प्रयोग में कार्यपालिका के शीर्षतम स्तर की सहभागिता सुनिश्चित करना

(I) संगठनों के कामकाज की शीर्षस्थ समीक्षा बैठकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समग्र स्वरूप में समीक्षा, एक अनिवार्य मद रहे । इस समीक्षा में हिंदी अधिकारियों के संवर्ग की संरचना, आई.टी.टूल्स की उपलब्धता तथा हिंदी शब्दकोष के निर्माण और वेबसाइट के माध्यम से प्रसार, तथा आई.टी. की प्राइवेट एजेंसियों द्वारा विकसित कराए जा रहे साफ्टवेयर के आरंभ से ही द्विभाषीय होने जैसी मदें शामिल हों ।

इन बैठकों में यथासाध्य कुछ समय हिंदी में बोलचाल का प्रयास हो ।

(II) मंत्रालयों में गठित हिंदी सलाहकार समितियों तथा राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में समीक्षा हेतु मदों की एक सुस्पष्ट चैक लिस्ट बनायी जाए ताकि उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक रूप से चर्चा हो ।

(III) विभिन्न मंत्रालय/विभाग अपने क्षेत्र विशेष के सामयिक विषयों पर हिंदी माध्यम से विचार-संगोष्ठियां आयोजित करें जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय एच.आई.वी. एड्स की रोकथाम पर तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन पर । इससे हिंदी का शब्दकोश बढेगा और बोलने की हिचकिचाहट कम होगी ।

II. सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) की एप्लीकेशंस में सुनियोजित वृद्धि

(i) केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सभी ई-कामर्स सुविधाओं जैसे रेलवे आरक्षण, तथा वायु यात्रा आरक्षण को हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाए ।

(ii) केन्द्रीय वित्तीय सेवाएं विभाग तथा आर.बी.आई. कोर बैंकिंग सेवा के लिए डेटा-बेस प्रोसेसिंग को द्विभाषीय बनवाएं । प्राय: यह कार्य निजी क्षेत्र की प्रख्यात आई.टी. कंपनियों के माध्यम से कराया जाता है । वर्तमान में इन्फोसिस द्वारा 'फिनेकल' नामक सॉफ्टवेयर काफी लम्बे अरसे से द्विभाषीय किए जाने की प्रक्रिया को जारी बताया जा रहा है किन्तु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । इस महत्वपूर्ण कार्य को निश्चित समय सीमा में कराया जाना चाहिए । निजी एजेंसियों के साथ किए जाने वाले अनुबंध में द्विभाषीय सॉफ्टवेयर तैयार किये जाने की शर्त शामिल होनी चाहिए । वर्तमान में प्रयोग किये जा रहे वे सॉफ्टवेयर, जो हिंदी में प्रयोग की सुविधा नहीं देते हैं, उनको अविलंब द्विभाषी प्रयोग के लिए तैयार कराया जाये।

(iii) सूचना प्रोद्योगिकी विभाग कंप्यूटर पर हिंदी कार्य के लिए उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयरों को, द्रुतगति से अपग्रेड किए जा रहे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अनुकूल अपडेट किया जाए अन्यथा इनकी उपयोगिता सीमित रह जाती है ।

(iv) यद्यपि अनेक संगठनों और प्रतिष्ठानों ने यूनीकोड समर्थित फोन्ट्स का प्रयोग आरंभ किया है, अभी भी अनेक इकाइयों में ऐसा नहीं हुआ है । इस बिंदु को शीर्षतम स्तर पर समीक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जाए ।

(v) एन.आई.सी. द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में पदस्थ आई.टी. विश्लेषकों और विशेषज्ञों में हिन्दी में प्रवीण विशेषज्ञ अत्यंत ही सीमित संख्या में हैं । एन.आई.सी. प्राथमिकता पर इस दिशा में अपने अधिकारियों और कर्मियों का क्षमता-संवर्धन करें ।

III. हिन्दी पदों के संवर्ग में मानकों के अनुरूप पदों का सृजन तथा क्रमानुक्रम ढांचे की अनिवार्यता

(i) मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बद्ध कार्यालयों के अतिरिक्त उनके अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त प्रतिष्ठानों में समय-समय पर राजभाषा के पदों संबंधी राजभाषा विभाग के मानकों के अनुरूप पदों का सृजन सुनिश्चित हो । यही नहीं हिन्दी के पदों के संवर्गों में पदों का क्रमानुक्रम ढांचा हो ताकि कर्मियों और अधिकारियों को डी.ओ.पी.टी. के मानकों के अनुरूप पदोन्नति के अवसर प्राप्त हों ।

(ii) हिन्दी के रिक्त पदों को कटौती के प्राविधान से मुक्त रखा जाए तथा पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव को मैचिंग-सेविंग की शर्त की परिधि से बाहर रखा जाए ।

IV. हिन्दी राजभाषा के संवैधानिक व वैधानिक प्राविधानों तथा अन्य प्रासंगिक पक्षों का प्रसार

(i) कार्यपालिका की विभिन्न इकाइयों, विशेषकर सार्वजनिक बैंकों व उपक्रमों से, समावेशीय समाजिक व आर्थिक उत्थान के हित में, उनकी प्रसार बजट से एक यथासाध्य निर्धारित अंश हिन्दी राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु मात्राकृत करने को कहा जा सकता है ।

V. प्रशिक्षण

(i) सेवा में प्रवेश के समय परिवीक्षा के दौरान राजभाषा नीति संबंधी प्रशिक्षण, हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का प्रशिक्षण तथा अनुवाद कार्य के लिए भर्ती किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम को परिवीक्षा के दौरान दिये जाने वाले प्रशिक्षणों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

(ii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में उप-सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारियों एवं सहायकों के लिए सेवाकालीन अनुवाद प्रशिक्षण दिलाया जाये ताकि वे, आवश्यकतानुसार, सामान्य कागजातों को स्वयं द्विभाषी रूप में तैयार कर सकें।

VI. पुस्तकालयों के लिए हिन्दी पुस्तकों की खरीद

(i) वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए पुस्तकालय की कुल अनुदान राशि का 50% खर्च करने संबंधी लक्ष्य के बारे में उन कार्यालयों, विशेषतया तकनीकी एवं वैज्ञानिक विषयों से संबंधित कार्यालयों, जिनके विषय से संबंधित हिंदी पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने से लक्ष्य को प्राप्त करना व्यवहारिक नहीं हो पाता है, पुस्तक खरीद के आंशिक बजट को अंग्रेजी एवं दूसरी भाषाओं की अच्छी पुस्तकों को हिंदी में अनुवाद करा कर उपलब्ध कराने पर खर्च करने की छूट दी जा सकती है।

VII. राजभाषा विभाग व मानव संसाधन विकास मंत्रालय में और प्रगाढ़ समन्वय

(i) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवाद क्षेत्र में अनुभव एवं केन्द्र सरकार के कार्यालयों के मैनुअल, कोड, प्रक्रिया साहित्य आदि के अनुवाद के लिए नोडल संस्था होने के नाते, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा परस्पर नजदीकी सहयोग से एक दूसरे को लाभान्वित करने की व्यापक संभावनाएं हैं। अतः वांछित सहयोग सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की सलाहकार परिषद में केन्द्रीय

अनुवाद ब्यूरो का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। दोनों संस्थाओं द्वारा कार्ययोजना की संरचना में भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत राजभाषा हिन्दी को अन्य प्रान्तीय भाषाओं द्वारा संवर्धित और समृद्ध किया जाना है । इस लक्ष्य हेतु केन्द्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, राष्ट्रीय शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा राजभाषा विभाग की समन्वित समिति का गठन आवश्यक है।